**संख्या-168/2026/आई0/1406316/2026-5-6099/213/2024-6-**

प्रेषक

**चन्द्र शेखर मिश्र,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**चिकित्सा अनुभाग-6** **लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतया राज्य पोषित) के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सूचीबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु धनराशि अग्रिम के रूप में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

........

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-17फ/नि0ब0/2026-27/70, दिनांक 29.06.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतया राज्य पोषित) के संचालन हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 10000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 5500.00 लाख में से सूचीबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा दावों के लम्बित/प्राप्त होने वाले दावों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 2000.00 लाख (रूपया बीस करोड मात्र) अग्रिम के रूप में अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

**(1)** उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण किये जाने पर वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25.10.1983, 10.06.2011 तथा 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्थानुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकडों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

(6) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

(7) धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

**2.** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**083 **लेखाशीर्षक** 2235607890500 आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना **मानक मद-**20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नाम डाला जायेगा।

**3.** यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई0-3-53/दस-2026-27, दिनांक 22 जुलाई, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**चन्द्र शेखर मिश्र**

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**</u>

**प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**(1)** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

**(2)** महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

**(3)** वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**(4)** निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**(5)** अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**(6)** संबंधित कोषाधिकारी।

**(7)** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

**(8)** वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।

**(9)** चिकित्सा अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,<br>
**चन्द्र शेखर मिश्र**<br>
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।